Seventeenth Loksabha

an>

Title: Issue regarding notice of Question of Privilege under Rule-227 against the officials of District and Election Commission.

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मेरा जीरो आवर की लिस्ट में नाम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे नियम-227 के तहत विशेषाधिकार से संबंधित मामला उठाने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि मैं लोक सभा सतना संसदीय क्षेत्र का लगातार चौथी बार प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र सतना के अंतर्गत रैगांव विधान सभा क्षेत्र है, जिसका उप-चुनाव 30 अक्टूबर, 2021 को हुआ था। मैं दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 को सतना से नागौद विधान सभा के कुलघड़ी गांव, रैगांव विधान सभा क्षेत्र के सितपुरा गांव होते हुए जा रहा था। रास्ते में एक सम्माननीय जनपद सदस्य के निवास पर एक छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम था, उनके आग्रह पर मैं उक्त कार्यक्रम में कुछ पल के लिए सम्मिलित हो गया, लेकिन उसी समय एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटित हुई और कांग्रेस प्रत्याशी बिना आमंत्रण के जनपद सदस्य के निवास पर पहुंचकर तेज आवाज में मेरे पास आकर नितांत धमकी भरे अंदाज में कहने लगीं कि मैं वहां से चला जाऊं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।

जनपद सदस्य के निवास पर उनके अन्य रिश्तेदार भी विराजमान थे। कांग्रेस प्रत्याशी के इस अपमानजनक आचरण से वे भी आहत प्रतीत हो रहे थे। तब मैंने कांग्रेस प्रत्याशी को बड़ी विनम्रता से बताया कि मैं उनके निमंत्रण पर यहां आया हूं जो कि पूर्ण रूप से पारिवारिक और निजी कार्यक्रम है और मेरी उपस्थिति का विधान सभा चुनाव से कोई भी संबंध नहीं है और न ही आज यहां कोई चुनाव प्रचार हो रहा है। इसके तुरंत पश्चात् मैं नागौद विधान सभा के कुलघढ़ी गांव के लिए प्रस्थान कर गया, ताकि मेरी उपस्थिति जो पूर्ण रूप से एक पारिवारिक कार्यक्रम में थी, उसे लेकर कोई प्रपंच न रचा जाए या फिर उसे कोई

राजनीतिक रंग न दिया जा सके। लेकिन एक अत्यंत नाटकीय ढंग से थोड़ी देर में ही जिला प्रशासन के साथ-साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा नागौद थाने में मेरे विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस घटना की खास बात यह रही कि न तो जिला प्रशासन ने और न ही चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कोई प्रारम्भिक तफ्तीश की और न ही मेरा पक्ष जानने का प्रयास किया।

महोदय, इस पूरे घटनाक्रम से मुझे न केवल मानसिक रूप से आघात पहुंचा है, बल्कि सांसद होने के नाते मेरे विशेषाधिकारों का हनन है, उल्लंघन है।... (व्यवधान) इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते किसी कार्यकर्ता या संसदीय क्षेत्र के निवासी के सुख-दुख में शामिल होना, जो कि विशुद्ध रूप से मेरा एक निजी दायित्व था, वह किस प्रकार आचार संहिता का उल्लंघन कहा जा सकता है? यह स्थिति उस समय और भी गंभीर हो जाती है, जब इस प्रकार एक तरफा कार्यवाही मेरा पक्ष सुने बिना कर दी जाती है।... (व्यवधान)

महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि विशेषाधिकार हनन का मेरे द्वारा प्रेषित इस नोटिस पर लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-227 के अंतर्गत तत्काल संज्ञान लिया जाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनिसंवत उचित कार्यवाही की जाए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं कुछ अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन आप सब कृपया एक मिनट में अपनी बात कहिए, जिससे कि अधिक से अधिक सांसदों को बोलने का अवसर दिया जा सके।

डॉ. निशिकांत दुबे।

... (<u>व्यवधान</u>)